

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 016

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018-19/276

दिनांक 13.06.2019

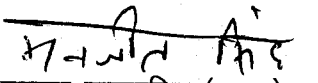
25

कार्यालयीय -आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के पत्र सं.13035-2/2019 रा.भा.ए के वार्षिक कार्यक्रम 2019-2020 में दर्शाए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है।

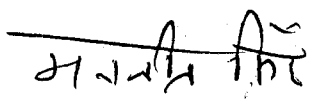
1. हिन्दी में मूल पत्राचार(ई-मेल सहित) के क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% "क" से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को 100%
2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना अत्यावश्यक है।
3. राजभाषा के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. कम्प्यूटर, ई-मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिन्दी में काम को बढ़ावा दिया जाय।
5. संबंधित विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिन्दी में छपवाकर उसे जनसाधारण को उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।
6. हिन्दी शिक्षण योजना कैलेंडर वर्ष 2025 में समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण/आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण कार्य में तीव्रता और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण दिलवाने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।
7. विभागों/कार्यालयों द्वारा अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिन्दी माध्यम में आयोजित की जाएं।
8. प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जाएं।
9. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (नराकास) की बैठकों का नियमित आधार पर आयोजन किया जाए तथा समिति की बैठकों में सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
10. तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु राजभाषा विभाग ने वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम विकसित करवाया है। तदनुसार सभी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑन लाइन सिस्टम के माध्यम से ही भेजी जाए। राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।
11. संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। जानबूझकर राजभाषा संबंधी आदेशों की अवहेलना न की जाए।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।


सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी/विकास विभाग
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव


सहायक कुलसचिव (प्रशा0)